

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नि०न० -63/2025

1. कुलदीप

2. राजकुमार

3. महावीर

पि० डालाराम जाति जाट निवासीयान सालीवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम्

- डालाराम पुत्र मेवाराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- कैलाश पुत्री डालाराम पत्नी भालसिंह, जाति जाट निवासीयान कालूआना तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
- मंजू पुत्री डालाराम पत्नी लालचन्द
- तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।


प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीतरिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क.वादी सं० 1 कुलदीप को प्राप्त आराजी:- चकनं० 10. एसवीएन के खाता सं० 50/43 के प०न० 192/205 मु० 38 किलानं० 18/.253, 23/.253, चकनं० 10 एसवीएन के खाता सं० 51/42 के प०न० 193/203 किलानं० 14/0.0885 है० उतर दिशा में, चकनं० 8 एसवीएन के खाता सं० 50/45 के प०न० 193/203 मु० 21 किलानं० 15/0.1770, 16 /0.1770, प०न० 194/203 मु० 20 किलानं० 11/.253, 18/.253, 19/.253, 20/.253, 23/.253 ख. वादी सं० 2 राजकुमार को प्राप्त आराजी:- चकनं० 6 एसवीएन के खाता सं० 8/7 के प०न० 198/199 मु० 4 किलानं० 21/.253, 22/.253, प०न० 199/200 मु० 8 किलानं० 11/.253, 12/.253, 19/.253, चकनं० 10 एस.वी.एन के खाता सं० 51/42 के प०न० 193/203 मु० 13 किलानं० 14/0.0885 है० दक्षिण दिशा में किलानं० 17 के चिपता, 17/.1770, 18/.253, 19/.253

ग. वादीसं० 3 महावीर को प्राप्त आराजी :-चकनं० 6 एसवीएन के खाता सं० 8/7 प०न० 198/200 मु० 7 किलानं० 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 199/200 मु० 8 किलानं० 20/.253, चकनं० 10 एसवीएन के खाता सं० 50/43 के प०न० 192/205 मु० 38 किलानं० 19/.253, 20/.253, 21/1/.127, 22 / .253 है० चकनं० 8 एसवीएन के खाता सं० 50/45 के प०न० 198/200 मु० 1 किलानं० 25/1/.228, 25/2/0.025 है० गै०मु०, प०न० 199/200 मु० 2 किलानं० 21/.253 है० इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 6 एस.वी.एन के खाता सं० 8/7, चक नं० 10 एसवीएन के खातासं० 50/43 तथा इसी चक के खाता सं० 51/42 तथा चक नं० 8 एसवीएन के खाता सं० 50/45 में से डालाराम का नाम कलमज्ज किया

किए जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजसव दिक्की को निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी समय सरकार का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजसव रिकार्ड में अमल दरमद कोर। इसके उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पत्रा डिक्री आज दिनांक 26/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं ग्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजसव दिक्की, P.A.S.)
उपपरमंड अधिकारी (P.A.S.)
एवं सहायक कलेक्टर
दिक्की।